[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAODINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30 Jan, 2020

G.S.R In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 67 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the central Government hereby directs that the provisions of section 460 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall apply to a limited liability partnership from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F.No. 17/61/2016-CL-V]

(IX V-IX IVIUITLY)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीखः 30.01.2020

अधिसूचना

सा.का.िन...... केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 460 के उपबंध राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी पर लागू होंगे।

[फा.सं. 17/61/2016-सीएल. \v]

के.बी.आर.मूर्ति) । 2020

संयुक्त सचिव, भारत सरकार